दिनांक–07.10.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के मधेपुरा एवं कटिहार जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा एवं कटिहार जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से क्रमशः 00 एवं 07 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि दिनांक–09.10.2026 तक शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की मधेपुरा जिले में वर्ष 2014–15 की 05 एवं कटिहार जिले में 2014–15 की 04 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी दिनांक–09.10.2026 तक विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा जिले में Pre CFMS Period में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Post CFMS Period में कुल 255.27 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति एवं एम0एन0वाई0(प्रशासनिक व्यय)/लेखापाल–सह–आई0टी0सहायक एवं तकनीकी सहायक मानदेय/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक का मानेदय की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) कटिहार जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि दिनांक–09.10.2026 तक UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Post CFMS Period में कुल 266.18 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत सरकार भवन, प्रतिनिधि भत्ता एवं एम0एन0वाई0 (प्रशासनिक व्यय)/लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक एवं तकनीकी सहायक मानदेय/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक का मानेदय की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार)

III. RGSA- लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा जिले में वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2022–23 तक का कुल 30.21 लाख रूपये की UC लंबित है। DPRO द्वारा बताया गया कि 8.29 लाख रूपये की UC तैयार कर दिनांक–09.10.2026 तक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा एवं कटिहार जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः कुल 3414 एवं 5062 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1956 एवं 3042 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 1550 एवं 2573 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा एवं कटिहार)

लगातार.....

V. **मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक मधेपुरा एवं कटिहार जिले में क्रमशः कुल 324 एवं 473 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 285 एवं 423 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 15 एवं 28 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार)

VI. **जन–शिकायत–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा एवं कटिहार जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः 13 एवं 17 मामलों के विरूद्ध 02 एवं 06 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार)

VII. **निगरानी से संबंधित मामले–**

मधेपुरा जिले में कुल 02 मामले निगरानी के लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलंब सभी मामलो का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

VIII. **CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कटिहार जिले में अद्यतन स्थिति तक कुल 05 मामले लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग–इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग–इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार)

IX. **पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा जिले में जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः कुल 158, 63 एवं 23 Aspiration के विरूद्ध 158, 08 एवं 00 का निष्पादन किया गया है। जुलाई एवं अगस्त माह में क्रमशः 51 एवं 101 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

लगातार.....

कटिहार जिले में जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः कुल 140, 128 एवं 86 Aspiration के विरूद्ध 110, 95 एवं 45 निष्पादन किया गया है। जुन, जुलाई एवं अगस्त माह में क्रमशः 63, 137 एवं 135 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निदेश दिया गया कि दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार)

X. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः—

01. मधेपुरा— (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 95 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 94 PSB का हस्तांतरण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। कुमारखंड प्रखंड में 01 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 94 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 94 में RTPS केन्द्र, 94 में विद्युत कनेक्शन, 42 में डाकघर, 14 में NOFN एवं 19 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 94 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र सभी 74 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

लगातार.....

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 11 PSB के विरूद्ध सभी 11 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 04 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से 02 का निराकरण हुआ है। रतनपुरा एवं गंगापुर पंचायतों में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतो में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। जिन पंचायतो में समस्या का निराकरण हो चुका है, वहाँ संबंधित BPRO स्थल भ्रमण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 07 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा सभी 07 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 07 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 05 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 04 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

02. कटिहार– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 80 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 78 का हस्तांतरण हो चुका है। आजमनगर एवं बरारी प्रखंड में 01–01 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 78 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 78 में RTPS केन्द्र, 78 में विद्युत कनेक्शन, 37 में डाकघर, 10 में NOFN एवं 78 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 80 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 78 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर

लगातार.....

पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 30 PSB के विरूद्ध 16 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 03 पंचायतों में प्रथम तल की छत ढलाई तथा 07 पंचायतों में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। लालगंज उत्तर पंचायत में निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 17 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से 04 का भी निराकरण हुआ है। 03 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर स्थानीय न्यायालय द्वारा Stay Order पारित है। 09 पंचायतों में चिन्हित भूमि मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण Descope किया गया है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है अथवा मानक के अनुरूप नहीं है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 45 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा 32 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। 10 पंचायतों का प्राक्कलन मुख्य अभियंता के पास लंबित है। TA द्वारा तैयार 32 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 20 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 09 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार)

XI. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा जिले में अद्यतन स्थिति तक 160 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 71 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 71 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 30 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से मात्र 03 में ही व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। किसी भी पंचायतो में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में तकनीकी सहायक द्वारा अबतक प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है, उन पंचायतों के तकनीकी सहायक के

विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कटिहार जिले में अद्यतन स्थिति तक 231 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 39 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 39 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 33 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से 23 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। केवल 02 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में अबतक TA द्वारा प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है, उन पंचायतो के TA के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार)

XII. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

01. मधेपुरा– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 74 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 32, पंचायत समिति में 09 एवं ग्राम पंचायत में 07 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

02. कटिहार– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 252 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक

लगातार.....

में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 09, पंचायत समिति में 29 एवं ग्राम पंचायत में 49 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार)

XIII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

01. मधेपुरा– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	22.13%
02	पंचायत समिति	75.98%
03	ग्राम पंचायत	71.21%

मुरलीगंज प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि कम है।

(ख) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 948 के विरूद्ध 380, पंचायत समिति में 1565 के विरूद्ध 114 एवं ग्राम पंचायत में 8789 के विरूद्ध 465 योजना ही पूर्ण की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. मुरलीगंज प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

02. कटिहार– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	24.80%
02	पंचायत समिति	64.82%

लगातार.....

03	ग्राम पंचायत	59.87%

समेली प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि कम है।

(ख) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1125 के विरूद्ध 272, पंचायत समिति में 2057 के विरूद्ध 879 एवं ग्राम पंचायत में 18611 के विरूद्ध 8309 योजना ही पूर्ण की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. समेली प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार)

XIV. षष्ठम राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

01. मधेपुरा– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	16.68%
पंचायत समिति	53.12%
ग्राम पंचायत	43.15%

मुरलीगंज प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) उदाकिशनगंज प्रखंड में 04, ग्वालपारा एवं कुमारखंउ प्रखंडों में 03–03, घाईलार प्रखंड में 02, बिहारीगंज, चौसा, गमहरिया एवं शंकरपुर प्रखंडों में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षों में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 396 के विरूद्ध 28, पंचायत समिति में 497 के विरूद्ध 74 एवं ग्राम पंचायत में 2368 के विरूद्ध मात्र 480 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. मुरलीगंज प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

लगातार.....

3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा)

02. कटिहार– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	21.79%
पंचायत समिति	56.96%
ग्राम पंचायत	39.42%

अमदाबाद, कुरसेला एवं समेली प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि क्रमशः शून्य, 21.68% एवं 28.06% है।

(ख) बरारी एवं कोहरा प्रखंडो में 03–03, बलरामपुर, बरसोई, कदवा एवं समेली प्रखंडो में 02–02 एवं आजमनगर, दंदखोरा, हसनगंज एवं प्राणपुर प्रखंड में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 489 के विरूद्ध 81, पंचायत समिति में 775 के विरूद्ध 565 एवं ग्राम पंचायत में 4289 के विरूद्ध मात्र 2458 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. अमदाबाद, कुरसेला एवं समेली प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार)

XV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक मधेपुरा एवं कटिहार जिले में क्रमशः 8366 एवं 4033 लक्ष्य के विरूद्ध 7376 एवं 4033

लगातार.....

लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। मधेपुरा जिले में मात्र 88% लाईटो का अधिष्ठापन किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

साथ ही मधेपुरा एवं कटिहार जिले में CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की कुल संख्या क्रमशः 1511 एवं 58 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा एवं कटिहार जिले में एजेंसी द्वारा Bill Submit करने के उपरांत भी क्रमशः 02 एवं 06 प्रखंडों में शून्य राशि का भुगतान किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा में 94% एवं कटिहार जिले में 35% मामलो का निष्पादन हो चुका है।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 06.10.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा एवं कटिहार जिले में क्रमशः 85% एवं 87% सोलर लाईट ON पाई गयी है।

साथ ही यह भी पाया गया कि मधेपुरा जिले में कुल 13 प्रखंडो के विरूद्ध मात्र 02 एवं कटिहार जिले में 16 प्रखंडों के विरूद्ध मात्र 05 प्रखंडो के BPRO द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. मधेपुरा जिले में चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी ने बताया कि उन्हें लाईटों के अधिष्ठापन हेतु सूची उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। निदेश दिया गया कि मधेपुरा के DPRO को विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए!

साथ ही एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनो के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं JICR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा मधेपुरा एवं कटिहार जिले में Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार एवं प्रशाखा–03)

XVI. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा एवं कटिहार जिले में जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत

लगातार.....

कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार)

XVII. लंबित न्यायिक वाद :–

मधेपुरा एवं कटिहार जिले में क्रमशः 02 एवं 05 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार एवं प्रशाखा–9)

XVIII. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा एवं कटिहार जिले में प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार)

XIX. विधान सभा/परिषद–

कटिहार जिले में 18 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार एवं प्रशाखा–09)

XX. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। मधेपुरा एवं कटिहार जिले में भी क्रमशः 41 एवं 88 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

लगातार.....

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15224/पं०रा० पटना, दिनांक 27/10/2026

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा एवं कटिहार/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15224/पं०रा० पटना, दिनांक 27/10/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15224/पं०रा० पटना, दिनांक 27/10/2026

प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी